



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 5 अक्टूबर, 2020

आश्विन 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1155/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(148)-2020

लखनऊ, 5 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-264

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटी आर-10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, किन्तु वे उक्त विवरणी 22 सितम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक की समयावधि में प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस दो सौ पचास रुपये से अधिक का अधित्यजन करती हैं।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1155/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(148)-2020, dated October 5, 2020 :

No. 1155/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(148)-2020

Dated Lucknow, October 5, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act which is in excess of two hundred and fifty rupees, for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR-10 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of December, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 320 राजपत्र-2020-(774)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 49 सा0 राज्य कर-2020-(775)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।